न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री सुवालाल आई.ए.एस.

अपील संख्याः 42/10 एल.आर. एक्ट

1. बृजबल्लभ पुत्र श्री पन्नालाल जाति जोशी ब्राहमण निवासी नथानियों की प्रोल, बीकानेर ।

.....अपीलान्ट्

बनाम

1. चन्द्र रेखा पत्नी स्व. घनश्यामदास जाति जोशी ब्राहमण निवासी शरह किराडू हाल नथानियों की प्रोल, बीकानेर
2. सरला
3. सीमा — पुत्रियां घनश्यामदास जाति जोशी ब्राहमण निवासी शहर किराडू
4. वीणा — हाल नत्थानियों की प्रोल, बीकानेर ।
5. स्नेहलता
6. स्वरुप नाबालिग कुदरती वली माता चन्द्ररेखा पत्नी स्व. घनश्यामदास जोशी ब्राहमण निवासी शरह किराडू, हाल नथाणियों की प्रोल, बीकानेर ।
7. स्टेट जरिये तहसीलदार कोलायत जिला बीकानेर ।

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री हीरालाल जोशी, अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोन्डेंट 1 ता 6
3–श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 24–5–17

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा प्रथम अपील सं0 42/08 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 16–6–2010 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शरह किराडू तहसील कोलायत जमाबन्दी संवत 2044–2047 के अनुसार विवादित भूमि ग्राम किराडू के खसरा सं0 6/1 मिन की तादादी 25 बीघा भूमि पन्नालाल पुत्र रतनलाल कौम ब्राहमण साकिन बीकानेर के नाम से खातेदारी की राजस्व अभिलेख में दर्ज थी । पन्नालाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 8–1–90 को एक वसीयतनामा रेस्पोन्डेंट सं01 के पति व रेस्पोन्डेंट सं. 2ता 6 के स्व. पिता घनश्यामदास के नाम से निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवा दिया । पन्नालाल का दिनांक 17–8–90 को देहान्त हो जाने के पश्चात उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 20–9–90 एवं मृत्युप्रमाण पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन का नामान्तरकरण सं0 20 भरा जाकर बाद जांच सरपंच ग्राम पंचायत गजनेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर पंचायत बैठक दिनांक 14–6–91 को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मु0 जमना देवी बेवा पन्नालाल जाति ब्राहमण निवासी बीकानेर के नाम से विरास्तन का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया । उक्त विरास्तन नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 14–6–91 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 की ओर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के समक्ष दिनांक 11–6–2008 को प्रथम अपील सं0 42/2008 इस आधार पर प्रस्तुत की गयी कि पन्नालाल के देहान्त के पश्चात अपीलान्टान का हक घनश्यामदास में निहित हो गया था । उनका ही विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है । अब उक्त कृषि भूमि को जमना देवी द्वारा अन्य व्यक्ति को बैय करदी है । अतः इन्तकाल सं020 दिनांक 14–6–91 निरस्त फरमाया जावे । उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 16–6–10 पारित किया कि " पन्नालाल की वसीयत के आधार पर विवादित भूमि घनश्यामदास को मिली तथा घनश्यामदास की मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि उनके वारिसान को मिली है अतः इस आधार पर रेस्पोन्डेंट सं0 1ता 6 की अपील स्वीकार कीं जाकर इन्तकाल सं0 20 दिनांक 14–6–91 एवं पश्चातवर्ती इन्तकाल निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वसीयत बाबत तहकीकात कर उभय पक्ष को सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः इन्तकाल पर विधिसम्मत निर्णय लेवें । उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 16–6–10 के विरुध्द इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । अपीलार्थी जमानादेवी का स्वर्गवास हो जाने पर उसका पुत्र बृजबल्लभ, जो अपील में रेस्पोन्डेंट 7 के रुप में पक्षकार था, को जमनादेवी के स्थान पर अपीलान्ट के रुप में पक्षान्तर करने के आदेश दिये गये । वकुलाय पक्षकारों की बहस सुनी गयी ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट का बहस के समय कथन रहा कि रेस्पोन्डेंट सं0 1ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील कत्तई मियाद बाहर थी । रेस्पोन्डेंट सं.1 ता 6 के द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 14–6–91 के विरुध्द प्रथम अपील दिनांक 11–6–2008 को 17 वर्षो के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी । रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मीमो ऑफ अपील में अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी कब हुई, उसका कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम में कहा कि विरास्तन नामान्तरकरण की जानकारी प्रथम बार दिनांक 1–6–08 को होना अंकित किया है । जबकि रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 ने अपील के साथ जो दस्तावेजात पेश किये हैं, उनमें प्रमाणित प्रति

सभागीय आयुक्त
बीकानेर

जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 भी है, जिसकी नकल रेस्पोन्डेंट द्वारा दिनांक 27–8–2007 को ही ले ली गई थी । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेंट चन्द्ररेखा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में गलत रुप से कथन किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपने कथन में बताया कि रेस्पोन्डेंट्स कथित वसीयत के आधार पर विवादित कृषि भूमि में अपना स्वत्वाधिकार होने का कथन करते हैं । जबकि उक्त तथाकथित वसीयत का आदिनांक तक प्रोबेट या लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं किया गया है । भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय से लैटर्स आफ एड मिनस्ट्रेशन अथवा प्रोबेट प्राप्त किये बिना न्यायालय के समक्ष विवादित सम्पदा में अपना स्वत्वाधिकार होने का क्लेम नहीं कर सकता है । इस कानूनी स्थिति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज किया गया है । प्रकरण में ग्राम पंचायत गजनेर द्वारा विधिवत रुप से कब्जा की जांच की गई एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नगर बीकानेर द्वारा जारी किये गये वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर इन्तकाल सं0 20 दिनांक 14–6–91 दर्ज किया गया था । उक्त इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व रेस्पोन्डेंट्स के पति/पिता स्व. घनश्यामदास को नोटिस दिये जाने का कोई विधिक आधार व कारण नहीं था । रेस्पोन्डेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में void ab initio प्लीड किया है, मुटेशन की अपील में void ab initio मानने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसीडिंग है अतः कानून के अनुसार मुटेशन की फिसकल प्रोसीडिंग में वसीयत को तय नहीं किया जा सकता । स्वर्गीय घनश्यामदास ने अपने जीवनकाल में तथाकथित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी । रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 द्वारा भी घनश्यामदास के देहावसान के बाद अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने का कोई प्रयास नहीं किया । वसीयत को 17 वर्ष तक कहीं भी पेश नहीं किया एवं घनश्यामदास के वारिसान द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 14–6–91 के विरुध्द अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील 17 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी, उक्त प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर प्रस्तुत होने, गलत शपथ पत्र पेश करने एवं वसीयत देरी से प्रस्तुत करने के कारण किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं थी । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थना में रुलिंग (1) 2003 ए.आई.एच.सी 1292, (2) 2007 ए.आई.आर (राज.) 238, (3) एस.सी 2011(4)

सभागीय आयुक्त
बीकानेर

सीआईवी सीसी 241 पेज 11 (5) एस.सी ए.आई.आर 1962 पेज 1472 एवं 2017(2) आरसीआर (सीविल) 195 अवलोकनीय बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1ता 6 ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि ग्राम शरह किराडू के खसरा नं0 6/1 मिन तादादी 25 बीघा में स्थित है, जो स्व. पन्नालाल की स्व अर्जित सम्पत्ति थी । स्व. पन्नालाल ने उपरोक्त भूमि अपने सगे भाई घनश्यामदास को वसीयत कर दी । पन्नालाल का स्वर्गवास के बाद घनश्यामदास का भी स्वर्गवास हो गया तथा वे वसीयत के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत नहीं करवा सके । इसी दौरान ग्राम पंचायत ने केवल मात्र जमना के नाम से विरास्तन नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 14–6–91 स्वीकृत कर दिया। उक्त इन्तकाल के विरुध्द घनश्यामदास के वारिसान रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें निर्णय दिनांक 16–6–10 द्वारा इन्तकाल सं0 20 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कोलायत को उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात इन्तकाल पर पुनः विधिसम्मत निर्णय लेने हेतु रिमाण्ड किया गया है । यह कि स्व. पन्नालाल द्वारा अपने सगे भाई घनश्यामदास के हक में विधिक प्रकिया अपना कर दिनांक 8–1–90 को वसीयत निष्पादित की गयी थी । उक्त वसीयत के आधार पर जिस दिन पन्नालाल का स्वर्गवास हुआ, उसी दिन उनके खातेदारी अधिकार घनश्यामदास में निहित होकर वसीयत प्रभावी हो जाने से स्व. जमना व बृजबल्लभ अपीलान्ट का मुतनाजा भूमि कोई अधिकार नहीं रहा। इस सम्बन्ध में आरबीजे 1998 पेज 438 व एआईआर 2006 एससी 3248 पैरा–13 अवलोकनीय बताया ।

7. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलीय न्यायालय में रेस्पोन्डेंट द्वारा मियाद कन्डोन करने हेतु प्रथम अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था । उक्त मियाद प्रार्थना पत्र के खण्डन में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब अथवा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सही ढंग से मियाद को कन्डोन किया गया है। इस बिन्दु पर नजीर एआईआर 1987 (एस.सी.) पेज–1355 पैरा–4, आरआरडी 2003 पेज 502 पैरा–7 एवं आरआरडी 1995 पेज 774 अवलेकनीय बताया । यह कि पंचायत द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय मृत्यु एवं वारिस प्रमाण पत्र के अलावा अन्य किसी दस्तावेज की जांच नहीं की गयी । लैण्ड रिकॉर्ड रुल्स के तहत विवादित भूमि पर वसीयत या अन्य कौन व्यक्ति काबिज है, ग्राम पंचायत द्वारा इसकी कोई जांच नहीं की गयी । इसके अलावा इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोन्डेंटान को सुनवाई का कोई

समागीय आयुक्त
बीकानेर

अवसर प्रदान नहीं किया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिध्दान्तों के विरुध्द है । इस सम्बन्ध में नजीर आरआरडी 1995 पेज 124, आरआरडी 1984 पेज 45जी. आरबीजे 1998 पेज 43, आरआरडी 1962 पेज 260एचसी व आरआरडी 1968 पेज 457बी अवलोकनीय बताया । इस सम्बन्ध में आरबीजे 2002 पेज 108 अवलोकानीय बताया ।

8. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ने आगे अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरास्तन इन्तकाल सं020 तस्दीक किया गया है । लेकिन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । कानून के अनुसार वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का आधार केवल मात्र सेशन न्यायाधीश को प्राप्त है । ऐसे विधि विरुध्द जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल स्वीकृत करने में गलती हुई है । यह कि राजस्थान में वसीयत को प्रोबेट करवाया जाना आवश्यक नहीं है । वसीयत केवल सादे कागज पर भी की जा सकती है, उसका वही प्रभाव है, जो प्रोबेट की हुई वसीयत का है । इस सम्बन्ध में आरजीबे 2012 पेज 602 एच.सी अवलोकनीय बताया। अपील में अपीलान्ट जमना के स्वर्गवास के बाद उसके पुत्र बृजवल्लभ को बतौर अपीलान्ट ट्रान्सपोज किया गया है । जबकि आदेश जैर इन्तकाल अकेली जमना के नाम स्वीकृत हुआ है । इसके अलावा श्रीमती जमना ने विवादित आराजी को आगे बैय कर दिया है तो बैयनामा के पश्चात कानूनन उसे अपील पेश करने का अधिकार नहीं रहता है । अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार कोलायत को रिमाण्ड किया गया है, जहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई होकर आदेश पारित होना है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

9. हमने उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है :–

I. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में प्रथम आधार यह लिया गया है कि रेस्पोन्डेंट सं.1 ता 6 के द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 14–6–91 के विरुध्द प्रथम अपील दिनांक 11–6–2008 को 17 वर्षो के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम में कहा कि विरास्तन नामान्तरकरण की जानकारी प्रथम बार दिनांक 1–6–08 को होना अंकित किया है । जबकि रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 6 ने अपील के साथ जो दस्तावेजात पेश किये हैं, उनमें प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 भी है, जिसकी नकल रेस्पोन्डेंट द्वारा दिनांक 27–8–2007 को ही ले ली गई थी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद को गलत रुप से कन्डोन किया गया है ।

सभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय के अनुसार हमने अपीलाधीन आदेश एवम् कानूनी नजीरों ध्यानपूर्वक का अवलोकन किया । प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत विरास्तन इन्तकाल सं0 20 दिनांक 14–6–91 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं0 1ता 6 द्वारा दिनांक 11–6–2008 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें उपखण्ड न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन कर वसीयत का महत्वपूर्ण बिन्दु विवादित होने के आधार पर नरम रुख अपनाते हुए मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मियाद को कन्डोन किया गया है । पत्रावली के अवलोकन अनुसार उक्त मियाद प्रार्थना पत्र के खण्डन में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब अथवा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र को सुनवाई के पश्चात स्वीकार किया गया है । न्यायालय के अनुसार हम द्वितीय अपील के स्तर पर मियाद के सम्बन्ध में दखल अन्दाजी करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील का यह प्रथम आधार स्वीकार योग्य नहीं है ।

II. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में द्वितीय आधार यह लिया है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय से लैटर्स आफ एड मिनस्ट्रेशन अथवा प्रोबेट प्राप्त किये बिना न्यायालय के समक्ष विवादित सम्पदा में अपना स्वत्वाधिकार होने का क्लेम नहीं कर सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानून को नजरअन्दाज किया गया है ।

न्यायालय के अनुसार अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में लिया गया यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है । इस सम्बन्ध में रेस्पोन्डेंट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर आरबीजे (19)2012 (H.C. of Raj) के अनुसार Indian Succession Act, 1925 (As amended By Amendment Act 16 of 1962) Section 213, 57(a)(b)- Probate of the Will- State of Rajasthan does not fall within the Section 57(a) and (b), there for requirement of Section 213 are inapplicable in the State. Therefore probate of the Will in State of Rajasthan is not necessary. इस प्रकार उपरोक्त नजीर के अनुसार राजस्थान में वसीयत पर प्रोबेट प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होने से

समागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी कानून को नजर अन्दाज नहीं किया गया है ।

10. प्रकरण में खातेदार पन्नालाल का देहान्त हो जाने पर ग्राम पंचायत, गजनेर द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरास्तन इन्तकाल सं020/14–6–91 जमना देवी पत्नी पन्नालाल के नाम से तस्दीक किया गया है । अपील में रेस्पोन्डेंट अभिभाषक द्वारा की गयी इस आपत्ति से हम सहमत हैं कि पन्नालाल के अन्य कानूनी वारिस उसके पुत्र बृजबल्लभ को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा जारी किये गये वारिस प्रमाण पत्र में नहीं दर्शाया गया है, जो आवश्यक था । इसके अलावा कानून के अनुसार वारिस प्रमाण पत्र ज़ारी करने का अधिकार केवल मात्र जिला न्यायाधीश को प्राप्त है । प्रकरण अनुसार इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील स्वर्गीय श्रीमती जमना पत्नी पन्नालाल द्वारा प्रस्तुत की गयी है तथा न्यायालय द्वारा जमना के स्वर्गवास के बाद उसके पुत्र बृजवल्लभ को बतौर अपीलान्ट ट्रान्सपोज किया गया है । अभिभाषकगण की बहस के अनुसार श्रीमती जमना ने विवादित आराजी को आगे बैय कर दिया है तो बैयनामा के पश्चात कानूनन उसे अपील पेश करने का अधिकार नहीं रहता है । ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात इन्तकाल सं0 20 दिनांक 14–6–91 एवं पश्चातवर्ती इन्तकाल निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कोलायत को वसीयत बाबत जांच करने एवं उभय पक्ष को सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित कर इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार कोलायत को रिमाण्ड़ किया गया है । जहां पर दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई के पश्चात आदेश पारित होकर पुनः नामान्तरकरण दर्ज होना है । हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त रिमाण्ड आदेश दिनांक 16–6–2010 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः प्रस्तुत अपील अपीलान्ट उक्त विवेचन अनुसार खारिज की जाती है ।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24–5–2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुवालाल)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर